METROPOLITAN STOCK EXCHANGE

Department: Investigation	Segment: All
Circular No: MSE/ID/19908/2026	Date: October 14, 2026

Subject: - Gazette Notification - Updates in Section 35(1)(a) of UAPA, 1967

To All Members,

SEBI has shared a copy of the Gazette Notification in respect of 1 organization, who has been declared as 'Terrorist' and has been listed in the First Schedule of the UA(P) Act, 1967 as per under Section 35(1) (a) of the Act.

Members are advised to take note of the above.

For and on behalf of
Metropolitan Stock Exchange of India Limited

Shweta Mhatre
Assistant Vice President

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276236
CG-DL-E-16092026-276236

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4889] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948
No. 4889] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2026

का.आ. 5080(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण और आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अनुसार 'आतंकवादी संगठन' से उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन या इस प्रकार सूचीबद्ध संगठन के रूप में समान नाम के अधीन क्रियाशील संगठन अभिप्रेत है;

और, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में ऐसे आतंकवादी संगठनों की सूची अंतर्विष्ट है;

और, 'शहज़ाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन)' एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य देश के भोले-भाले युवाओं और स्थानीय अपराधियों को सम्मिलित करके सीमा पार से हथियारों, विस्फोटकों व नशीले पदार्थों की तस्करी तथा आतंकवादी क्रियाकलापों के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करना है;

और, शहज़ाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) के सदस्यों के विरुद्ध विविध अधिकारिताओं के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों की निम्नलिखित धाराओं के अधीन विधिविरुद्ध और आतंकवादी क्रियाकलापों में उनकी संलिप्तता के लिए कई आपराधिक मामले सम्यक रूप से दर्ज किए गए हैं, यथा : -

(i). भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) - धारा 3(5), 6(2), 52, 55, 61, 61(2), 78, 103, 109, 109(1), 111, 113, 113(3), 125, 148, 152, 324(4), 353, और 353(1)(ख) के अधीन;

(ii). आयुध अधिनियम, 1959 अधिनियम (1959 का 54) - धारा 3, 4, 25, 25(8), 27, 54, और 59 के अधीन;

(iii). विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) - धारा 13, 15, 16, 17, 18, 18-ख, 20, 23, 25, 35, 39, 40, 43, और 43-ङ के अधीन;

(iv). विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) - धारा 3, 4, और 5 के अधीन;

(v). विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) - धारा 4, 5, और 9(ख)(1)(ख) के अधीन;

(vi). सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) - धारा 66(च), 66-ग, और 66-घ के अधीन;

(vii). दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 (2009 का 1) - धारा 3 के अधीन;

(viii). शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) - धारा 3 के अधीन;

(ix). आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) - धारा 24 के अधीन।

और, 'शाहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन)' भोले-भाले युवाओं को विभिन्न प्रलोभन देकर कट्टरपंथी बनाने, उन्हें देश विरोधी क्रियाकलापों के लिए प्रेरित करने तथा अन्य प्रतिबंधित संगठनों और नामनिर्दिष्ट इकाइयों के साथ दुस्संधि करके राष्ट्र-विरोधी कृत्यों के लिए संसाधन जुटाने में अन्तर्वलित है;

और, 'शाहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन)' विभिन्न डिजिटल संचार माध्यमों का उपयोग करके भड़काऊ संदेशों को प्रसारित करने और लोक व्यवस्था को भंग करने वाली हिंसक क्रियाकलापों के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जो देश की अखंडता के लिए एक गंभीर चुनौती है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि 'शहज़ाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन)' आतंकवाद में संलिप्त है और उसने भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में भाग लिया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : -

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रम संख्यांक 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : -

"46. शहज़ाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन)"।

[फा. सं. 11034/04/2026/CT-I]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4391 (अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2026

S.O. 5080(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, as per clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organisation listed in the First Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains the list of such terrorist organisations;

And whereas, 'Shahzad Bhatti Network (SBN)' is an organisation whose objective is to involve gullible youth and local criminals to smuggle arms, explosives, and narcotics from across the border, and through terrorist activities, pose a serious threat to the democratic system, communal harmony, and internal security of the country;

And whereas, several criminal cases have been duly registered against the cadres of Shahzad Bhatti Network (SBN) across multiple jurisdictions for their involvement in unlawful and terrorist activities, invoking the following sections of various Acts, namely: -

(i). the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) - under sections 3(5), 6(2), 52, 55, 61, 61(2), 78, 103, 109, 109(1), 111, 113, 113(3), 125, 148, 152, 324(4), 353, and 353(1)(b);

(ii). the Arms Act, 1959 (54 of 1959) - under sections 3, 4, 25, 25(8), 27, 54, and 59;

(iii). the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) - under sections 13, 15, 16, 17, 18, 18-B, 20, 23, 25, 35, 39, 40, 43, and 43-E;

(iv). the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908) - under sections 3, 4, and 5;

(v). the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) - under sections 4, 5, and 9(b)(1)(b);

(vi). the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) - under sections 66(F), 66-C, and 66-D;

(vii). the Delhi Prevention of Defacement of Property Act, 2007 (1 of 2009) - under section 3;

(viii). the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) - under section 3;

(ix). the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025) - under section 24;

And whereas, the 'Shahzad Bhatti Network (SBN)' is involved in radicalising gullible youth by offering various allurements, motivating them for anti-national activities, and mobilising resources for anti-national acts in collusion with other banned organisations and designated entities;

And whereas, the 'Shahzad Bhatti Network (SBN)' is promoting terrorism through violent activities that disrupt public order and by using various digital communication platforms to disseminate provocative messages, posing a serious challenge to the integrity of the nation;

And whereas, the Central Government believes that 'Shahzad Bhatti Network (SBN)' is involved in terrorism and has participated in various acts of terrorism in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely: -

In the First Schedule to the said Act, after serial number 45 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"46. Shahzad Bhatti Network (SBN)".

[F. No. 11034/04/2026/CT-l]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

Note: The First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended, *vide* the notification number S.O. 4391 (E), dated the 10th October, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.09.16 14:41:16 +05'30'